न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 74/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/56**
दायर दिनांक :— 13.04.2022 **निर्णय दिनांक :— 26.05.2026**

1. भाखरराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी चन्दनपुरा तहसील लोहावट जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. मालाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. ग्राम पंचायत नेवा पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री सिकन्दर खान अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 46 रकबा 14.2449 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 14.2449 हैक्टेयर भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बंट में आता है। इसी अनुसार उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व अभिलेख में सामलाती दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 46 रकबा 14.2449 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस में रखी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 46 रकबा 14.2449 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	भाखरराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा. देह चन्दनपुरा पीलवा खातेदार	नेवा	46	9.4966 हैक्टेयर	बी–4
2	मालाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	नेवा	46	4.7483 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

1. भाखरराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी चन्दनपुरा तहसील लोहावट जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. मालाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. ग्राम पंचायत नेवा पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 74/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण—I, पीठासीन अधिकारी व हाजिर सिकन्दर खान मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 46 रकबा 14.2449 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	भाखरराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा. देह चन्दनपुरा पीलवा खातेदार	नेवा	46	9.4966 हैक्टेयर	बी—4
2	मालाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	नेवा	46	4.7483 हैक्टेयर	बी—4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।